

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. कैलाश चन्द्र पुत्र प्रभु दयाल जाति गुर्जर निवासी रैया का बास तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 357 / 2025

जीसीएमएस नं0 2025/626


आदेश

दिनांक 07/11/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम रैया का बास पटवार हल्का घासीपुरा तहसील पाटन के खाता संख्या 11, 79, 82, 83, 88, 112, 144, 145, 171 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभाता/प्रभाताराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "कैलाश चन्द्र पुत्र प्रभु दयाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा


(राजवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना